

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.29 (1) न्याय/2015/

जयपुर, दिनांक 29.08.2018

आज्ञा

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में पदस्थापित निम्नलिखित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का स्थानान्तरण/पदस्थापन प्रशासनिक दृष्टि से तुरन्त प्रभाव से किये जाते हैं:-

क्र.सं.	नाम/पदनाम	वर्तमान पदस्थापन	नवीन पदस्थापन	विशेष विवरण
1.	श्री राजू सिंह नायक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, क्रम संख्या-2, उदयपुर	मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, बीकानेर	रिक्त पद पर
2.	श्री अमजद खॉन, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, भरतपुर	मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, बीकानेर	रिक्त पद पर
3.	श्री पवन शर्मा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, क्रम संख्या-1, कोटा	मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, दौसा	रिक्त पद पर
4.	श्री ओम प्रकाश मीणा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, क्रम संख्या-2, कोटा	मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, दौसा	रिक्त पद पर
5.	श्री चन्द्र शेखर, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, राजसमंद	मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, सवाई माधोपुर	रिक्त पद पर

नोट:- उक्त कार्मिको का स्वयं के प्रार्थना पत्र पर स्थानान्तरण किया गया है। अतः इन्हें यात्रा भत्ता एवं योगकाल देय नहीं होगा।

आज्ञा से
K. L. Singh
29-08-18
(कैलाश सिंघाडिया)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
2. न्यायाधीश, मोटर दुर्घटना दावा, अधिकरण, क्रम संख्या-2 उदयपुर, बीकानेर, भरतपुर, कोटा प्रथम, कोटा द्वितीय, राजसमंद एवं सवाई माधोपुर।
3. संबंधित कर्मचारी।
4. रक्षित पत्रावली।

K. L. Singh
उप शासन सचिव